साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 6, अंक : 48 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 21 जुलाई से 27 जुलाई 2021 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

जनता तक जल पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन - मुख्यमंत्री श्री चौहान

खानापूर्ति न हो, हर घर को ढंग से मिले पानी, निरंतर हो निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं मॉनीटरिंग, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

इन्दौर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जल जीवन मिशन जनता तक जल पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इस पर लगभग 35 से 40 हजार करोड़ रूपए की राशि व्यय होनी है। योजना को पूरी सावधानी एवं कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए संचालित किया जाए। खानापूर्ति न हो तथा हर घर को ढंग से पानी मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्यों का निरंतर निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं मॉनीटरिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री मलय श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री एस.एन. मिश्रा आदि उपस्थित थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के 1 करोड़ 23 लाख परिवारों को नल के माध्यम से जल प्रदाय करना है। इनमें से गत वर्ष तक 17 लाख 72 हजार परिवारों को कव्हर किया गया है। वर्ष 2020-2021 में 19 लाख 86 हजार परिवारों को कव्हर किया गया। शेष कार्य चल रहा है। मिशन के जरिये वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुँचाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने से पहले पानी का स्त्रोत सुनिश्चित कर लिया जाए। हर घर तक नल से पानी पहुँचने के साथ योजना टिकाऊ हो, यह भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मिशन के क्रियान्वयन के कार्य की विभागीय मंत्री स्पॉट चेकिंग करें। कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर पूरा ध्यान दिया जाए। रेन्डम चेकिंग भी करवाई जाए। योजना पूर्ण होने के बाद भी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि नल कनेक्शन एवं मासिक जल प्रदाय की राशि ली जाए। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। नल कनेक्शन के लिए 500 रूपए सामान्य परिवारों से तथा 100 रूपए बी.पी.एल. परिवार से राशि ली जानी है। वहीं जल प्रदाय का मासिक शुल्क 60 रूपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

29 नवीन समूह नल-जल योजनाएँ प्रस्तावित

मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 6477 ग्रामों की 29 नवीन समूह नल-जल योजनाएँ प्रस्तावित हैं। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शाला एवं प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र को भी कव्हर किया जा रहा है।

क्या इस साल खड़ा हो सकता है अन्न संकट? 5 साल में सबसे कम फसल की बुआई

नई दिल्ली। साल 2021 का मानसून बेशक अब सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन बारिश के असामान्य वितरण ने एक नई चिंता खड़ी कर दी है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के 16 जुलाई 2021 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार खरीफ की बुआई बेहद प्रभावित हो रही है।

इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 16 जुलाई 2020 तक देश में 691.93 लाख हेक्टेयर क्षेफफल में खरीफ की बुआई की जा चुकी थी। लेकिन साल 2021 में अब तक 611.89 लाख हेक्टेयर में ही फसल की बुआई की गई है। यहां तक कि इस साल सामान्य तौर पर होने वाली बुआई (636.82 लाख हेक्टेयर) से भी कम है। जो लगभग 4 फीसदी कम है। सामान्य का अंदाजा पिछले पांच साल के दौरान हुई बुआई के औसत से लगाया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि खरीफ सीजन में देश में 1073 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अलग-अलग फसलों की बुआई होती है। इस साल सभी फसलों की बुआई पिछड़ रही है। पिछले साल के मुकाबले धान की बुआई 12.47 हेक्टेयर कम हुई है। और पिछले 5 साल के औसत के मुकाबले 1.90 हेक्टेयर कम बुआई हुई है। राज्यवार देखें तो ओडिशा में 4.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की कम बुआई हुई है, इसी तरह छत्तीस गढ़ में 3.99 लाख हेक्टेयर, बिहार में 2.83 लाख हेक्टेयर, आसाम में 2.28 हेक्टेयर, हरियाणा में 1.14 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 80 हजार हेक्टेयर, मणिपुर में 75000 हजार, आंध्र प्रदेश में 69 हजार हेक्टेयर, नागालैंड में 65 हजार हेक्टेयर, कर्नाटक में 59 हजार हेक्टेयर, राजस्थान में 40 हजार हेक्टेयर और पश्चिम बंगाल में 26 हेक्टेयर धान की बुआई कम हुई है। दलहन की बुआई भी इस बार बहुत पिछड़ रही है दलहन का कुल क्षेत्रफल 135.29 है और इस सप्ताह तक सामान्यता लगभग 81.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो जाती है परंतु इस साल अब तक 70.6 हेक्टेयर में ही बुआई हुई है, जबकि पिछले साल 80.36 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई हुई थी। राज्य वार बात करें तो कर्नाटक में 2.77 लाख हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 1.69 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में अधिक बुआई हुई, लेकिन राजस्थान में 9.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अब तक बुआई नहीं हो पाई है, जबकि मध्य प्रदेश में 3.32 लाख हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 62000 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 48000 हेक्टेयर, झारखंड में 40000 हेक्टेयर, ओडिशा में 35000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई अब तक नहीं हो पाई है। तिलहन का कुल बुआई क्षेत्र 180 लाख हेक्टेयर है और 16 जुलाई तक सामान्यता लगभग 127.90 लाख हेक्टेयर में बुआई हो जाती है। 16 जुलाई 2021 तक 128.91 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, परंतु पिछले साल के मुकाबले यह बहुत कम है पिछले साल 149.35 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी, यानी कि अब तक 20.44 लाख हैक्टेयर में पिछले साल के मुकाबले बुआई कम हुई है। राज्यवार देखे तो राजस्थान में 3.79 लाख हेक्टेयर में बुआई नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश में 2.12 लाख हेक्टेयर में बुआई नहीं हुई है। तेलंगाना में 59000, छत्तीसगढ़ में 52 हजार उत्तर प्रदेश में 30 हजार हैक्टेयर में तिलहन की बुआई नहीं हुई है। फसलों की बुआई में पिछड़ने का बड़ा कारण मानसून माना जा रहा है। कुछ इलाकों में मानसून इतना अधिक बरसा है कि किसान की बुआई बेकार गई तो कुछ इलाकों में मानसून की बारिश नहीं हुई। जिसके चलते अब तक किसान बुआई नहीं शुरु कर पाए हैं। इसे खरीफ सीजन के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से 14 जुलाई 2021 के दौरान देश में 50 जिले ऐसे हैं।

साभार - डाउन टू अर्थ

गर्भावस्था में वायु प्रदूषण का संपर्क डाल सकता है बच्चों की शिक्षा पर असर...

बच्चों के भविष्य की नींव होते हैं जीवन के शुरुआती वर्ष

भोपाल।

यदि कोई बच्चा गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के संपर्क में आता है, तो वो आगे चलकर उसकी शिक्षा पर असर डाल सकता है। आज जब माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं, ऐसे में यह बात परेशान कर देने वाली जरूर है7 हालांकि इसकी वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि हो गई है, जिसकी जानकारी हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के मेलमैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और इरविंग मेडिकल सेंटर द्वारा किए शोध में सामने आई है।

जर्नल एनवायर्नमेंटल रिसर्च में छपे इस शोध के मुताबिक जन्म से पूर्व उच वायु प्रदूषण के संपर्क में आने के कारण बचों के तार्किक और बौद्धिक विकास में बाधा आ सकती है, जो आगे चलकर किशोरावस्था की शुरुवात में उनके स्कूल के रिजल्ट पर असर डाल सकता है। इससे उन्हें पढ़ने, स्पेलिंग याद करने और गणित आदि विषयों को समझने में मुश्किल हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार वायु प्रदूषण से बचे के इन्हिबिटरी कंट्रोल क्षमता पर असर पड़ सकता है, जो बचों की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसका असर उसके रिजल्ट पर भी पड़ता है। इन्हिबिटरी कंट्रोल को हम इस तरह समझ सकते हैं, यह हमारे दिमाग की वो क्षमता होती है जो हमें जल्दबाजी में अपने आप किसी सवाल का जवाब देने की जगह ध्यान और तर्कों की मदद से उसका उत्तर देने में मदद करती है। जब बचे नई बातें (कांसेप्ट) सीखते हैं, तो उन्हें इसके लिए पीछे की आदतों को भूलने की जरुरत होती है। ऐसे में इसके लिए उन्हें अपनी बौद्धिक और तार्किक क्षमता में विकास करने की जरुरत होती है।

कोलंबिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रोफेसर और इस शोध से जुड़ी प्रमुख शोधकर्ता एमी मार्गोलिस ने बताया कि जिन बचों में इन्हिबिटरी कंट्रोल क्षमता उतनी बेहतर नहीं थी, वो बचे सामान्य से प्रश्नो का उतर देने में अटक गए थे। उदाहरण के लिए जब उनसे ऊपर की ओर इशारा करने वाले तीर के बारे में पूछा जाए तो एक सामान्य बचा ऊपर की ओर इशारा करता है। इसी तरह ग्रीन रंग के प्रति बचे की सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि वो इसका मतलब जाने के लिए लगाते हैं। वहीं जिन बचों में मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ था वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हुए थे। उनके अनुसार कोई बचा आगे चलकर पढ़ाई-लिखाई में कैसा होगा, यह उसके बचपन पर निर्भर करता है, वो शुरुवाती वर्ष उसके भविष्य की नींव होते हैं। पर उस उम्र में गंभीर वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से वो बचों की बौद्धिक और तार्किक क्षमता पर असर डाल रहा है।

ऐसे में छात्रों को सीखने में मुश्किल क्यों हो रही है, इसे समझने और उसके उपचार की योजना बनाते समय माता-पिता और शिक्षकों को पर्यावरणीय जोखिम से जुड़ी उन शैक्षणिक समस्याओं को भी ध्यान में रखना होगा। उन्हें समझना होगा कि यह कमी उनके विषय को समझने की कमी नहीं है, बल्कि यह कमी उनके अपने मन को काबू में न रख पाने की कमी से जुड़ी है। बचों का मन वैसे भी बहुत चंचल होता है ऐसे में उसे एकाग्र करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वायु प्रदूषण के इस असर को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने गर्भावस्था के अंतिम तीन महीनों के दौरान बचे पर वायु प्रदूषण के पड़ने वाले असर का अध्ययन किया था7 गौरतलब है कि इसी अवधि में भ्रूण पर्यावरण सम्बन्धी जोखिमों के प्रति सबसे यादा संवेदनशील होता है। वहीं 10 वर्ष की आयु में बचों के इन्हिबिटरी कंट्रोल क्षमता और 12 वर्ष की आयु में वो पढ़ने लिखने में कैसे हैं, इस बात की जानकारी ली गई थी। इस शोध से जुड़ी अन्य शोधकर्ता जूली हर्बस्टमैन के अनुसार यह शोध बचे के जन्म से पहले उसपर वायु प्रदूषण के पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को दर्शाता है, जो न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि साथ ही आगे चलकर उनके पढ़ने और सीखने की क्षमता पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में वायु प्रदूषण की रोकथाम से न केवल बचों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सकता है, साथ ही बचों की शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार किया जा सकता है।

साभार - डाउन टू अर्थ

यूनेस्को की परियोजना से मध्य प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा

भोपाल यूनेस्को की परियोजना से मध्य प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। ओरछा और ग्वालियर के लिए यूनेस्को जैसी विकास योजना तैयार करेगा, उसी के अनुरूप प्रदेश के अन्य शहरों की विकास योजना बनाई जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे मंगलवार को यूनेस्को की हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ मंत्रालय से कर रहे थे।

परियोजना के तहत ओरछा और ग्वालियर नगरों का विकास होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप निखारते हुए दोनों नगरों का विकास किया जाएगा। वर्ष 2011 में शुरू हुई परियोजना में दक्षिण एशिया के छह नगर पहले से शामिल हैं, जिनमें भारत के अजमेर एवं वाराणसी भी हैं। ओरछा व ग्वालियर को सातवें एवं आठवें नगर के रूप में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से पर्यटन विकास के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन, बफर में सफर, नाइट सफारी, युवा साहसिक पर्यटन आदि अनेक योजनाएं संचालित हैं। यूनेस्को के एरिक फाल्ट ने कहा कि परियोजना के तहत ओरछा एवं ग्वालियर शहरों का वहां के इतिहास एवं सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण एवं समुदाय के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। यूनेस्को भारत की जून्ही हॉन ने कहा कि संवहनीय विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) 2030 के एजेंडे को ध्यान में रखते हुए नगरों का विकास होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि यूनेस्को की परियोजना की तर्ज पर प्रदेश के सभी ऐतिहासिक शहरों को विकास के चरम पर ले जाएंगे। उनके विकास में वहां की संस्कृति, इतिहास, प्रकृति, परंपराओं और विरासत का पूरा ध्यान रखेंगे।

गंभीर सूखे की चपेट में बुंदेलखंड

बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। बारिश न होने और खेतों में नमी न होने के कारण ज्यादातर खेतों में बुवाई नहीं हुई है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने बारिश की उम्मीद से तिल, उड़द आदि बो दी थी लेकिन बारिश न होने के बाद बीज सूख गए और उन्हें हजारों रुपए का नुकसान हो गया। बुंदेलखंड में मॉनसून सामान्यत- 15 जून तक पहुंच जाता था। लेकिन इस बार एक महीने की देरी के बावजूद मॉनसून के बादल नहीं बरसे हैं।

जन जल जोड़ो अभियान के संयोजक संजय सिंह ने डाउन टू अर्थ को बताया कि बुंदेलखंड भीषण सूखे की जद में है। उनका कहना है, +इस साल कोविड-19 के कारण किसानों की अधिकांश आय इलाज पर खर्च हो गई है। उन्हें मौजूदा फसल से बहुत उम्मीद थी लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 15 जुलाई तक इतनी कम बारिश बुंदेलखंड में नहीं देखी गई है।+ मौजूदा वर्ष की तुलना 2002 के सूखे से करते हुए संजय सिंह बताते हैं कि 2002 में 15 जुलाई तक राज्य में सूखे की घोषणा कर दी गई थी। उनका कहना है कि अगर 15 जुलाई तक 50 प्रतिशत बारिश न हो तो नियमों के अनुसार, सूखे की घोषणा करनी पड़ती है। हालांकि इस साल ऐसी किसी घोषणा की सुगबुगाहट नहीं है। वह बताते हैं कि मौजूदा सीजन में नुकसान का असर अगले फसल चक्र पर भी पड़ेगा। बुंदेलखंड में पृथक राज्य का आंदोलन चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता तारा पाटकर ने 16 जुलाई की सुबह एक वीडियो जारी कर बताया, +महोबा के सिद्धबाबा का सिद्ध कुंड जो कभी नहीं सूखा, इस साल बेपानी है। इस वर्ष हालात बहुत खराब होने के आसार हैं। बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर और जालौन में वर्षा आंशिक भी नहीं हो रही है। पूरा आषाढ़ बीत रहा है। बांदा और महोबा के हालात इस वर्ष जलसंकट से बद्तर होने की स्थिति बन रही है। बुंदेलखंड भीषण सूखे की तरफ जा रहा है।+

सूख गया तिल- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के मीगनी गांव के माताप्रसाद तिवासी ने अपने 4 हेक्टेयर के खेत में करीब 50 हजार रुपए खर्च कर पिछले महीने जून के मध्य में तिल बोया था लेकिन खेतों में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी जिससे खेतों को नमी नहीं मिल पाई और तिल का बीज सूख गया। 60 साल के माताप्रसाद बताते हैं कि उन्होंने 1988-89 में ऐसी परिस्थिति देखी थी। उस साल बुंदेलखंड में भीषण सूखा पड़ा था। यह सूखा बुंदेलखंड के सबसे खतरनाक सूखों में एक था। तब से पहली बार मॉनसून की बारिश में इतनी देर हुई है। उन्होंने माना कि इस साल सूखे के पूरे आसार हैं। माताप्रसाद के अनुसार, +अगर तीन-चार दिन में बारिश नहीं हुई तो किसानों के लिए पूरा सीजन बेकार चला जाएगा।+ महोबा जिले के पुपवारा गांव निवासी बिंद्रावन प्रसाद बताते हैं कि इस साल मॉनसून से पहले वाली बारिश भी नहीं हुई। इस बारिश से खेतों में थोड़ी बहुत नमी आ जाती थी और किसान बुवाई कर देते थे। बिंद्रावन के करीब 25 बीघा खेत हैं। उन्होंने तिल, अरहर और मूंग की फसल की तैयारी की थी। वह बताते हैं कि अगर इस साल अच्छी खेती नहीं हुई तो उनकी माली हालत बहुत खराब हो जाएगी। बिंद्रावन की पिछले साल की सारी बचत परिवार की बीमारी पर खर्च हो गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उनके परिवार के सभी 6 सदस्य बीमार हो गए थे। बिंद्रावन बताते हैं, +मेरा परिवार पहले से कर्ज में डूबा है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि मैंने अपने दो बेटों को कमाने के शहर में भेज दिया है क्योंकि इस साल खेती से उम्मीद न के बराबर है।+

बुवाई क्षेत्र में गिरावट- बांदा जिले के बसहरी गांव के बच्ची प्रसाद ने भी अपने 10 बीघा के खेत में तिल की बुवाई कर दी थी लेकिन बारिश न होने पर बीज सूख गए। बच्ची प्रसाद के बेटे घनश्याम कुमार बताते हैं कि यह मौसम तो बेकार हो गया। बीज सूखने के बाद खेतों में पैदावार की उम्मीद नहीं है। घनश्याम के मुताबिक, +इस समय तक तिल की फसल खड़ी हो जाती थी लेकिन इस बार बीज ही नहीं डाला गया। अब रबी के मौसम से ही उन्हें उम्मीद बची है।+ बसहरी के अधिकांश किसानों की स्थिति बच्ची प्रसाद जैसी ही है। इस गांव में बहुत से किसान खरीफ के मौसम में तिल की फसल बोते हैं। गांव में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने किराए के ट्रैक्टर के जरिए दो- दो बार अपने खेतों की जुताई करा दी है लेकिन वे अब तक बुवाई नहीं कर पाए हैं। उनका बीज और जुताई का खर्च व्यर्थ हो गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डायरेक्टोरेट ऑफ इकॉनोमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सामान्यत- 3.75 लाख हेक्टेयर में तिल की बुवाई की जाती है लेकिन 8 जुलाई 2021 तक 0.69 लाख हेक्टेयर में ही तिल बोया गया है। यानी इस साल तिल की बुवाई काफी कम हुई है और इसका असर उसकी कीमत पर भी पड़ सकता है।

9 जुलाई 2021 को जारी खरीफ की बुवाई के आंकड़े बताते हैं कि खरीफ की दलहन का बुवाई क्षेत्र कम हुआ है। आंकड़ों के अनुसार, दलहन के 135.29 लाख हेक्टेयर के कुल बुवाई क्षेत्र में अब तक 52.49 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई है जो पिछले साल के कुल क्षेत्र 53.35 लाख हेक्टेयर से कम है। तिलहन की बुवाई भी पिछले साल के 126.13 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 112.55 लाख हेक्टेयर में हुई है। यानी पिछले साल के मुकाबले 13.58 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में कमी आई है। बुंदेलखंड का असिंचित क्षेत्र दलहन और तिलहन के लिए जाना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में इन फसलों की बुवाई बारिश के अभाव में कम हुई है।

बांदा जिले का कमासिन, अतर्रा, बबेरू और जसपुरा इलाका धान की खेती के लिए जाना जाता है लेकिन बारिश के अभाव में अब तक वहां धान की रोपाई नहीं हो पाई है। बांदा में गैर लाभकारी संस्था विद्याधाम समिति के संचालक राजा भैया मानते हैं कि यह साल काफी विकट है और किसानों के लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं। उनका कहना है कि आमतौर पर मॉनसून में इतनी देर नहीं होती। इस बार इतनी देर हो चुकी है कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। उनका कहना है कि धान की रोपाई में देरी से रबी की अगली फसल भी प्रभावित होगी। इससे पूरा का पूरा फसल चक्र बिगड़ सकता है।

चित्रकूट स्थित गैर लाभकारी संस्था अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के प्रमुख गोपाल भाई बताते हैं कि जिले में जून के दूसरे सप्ताह ठीक ठाक बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से बारिश नसीब नहीं हुई है। उनका कहना है कि जून में हुई बारिश वनों और पशु पक्षियों के लिए तो उपयोगी साबित हुई लेकिन उससे किसानों को विशेष फायदा नहीं मिला। अब जब बारिश की सख्त जरूरत है तो बादल नहीं बरस रहे हैं। उनका कहना है कि पूरा बुंदेलखंड ही नहीं यूपी के करीब 60 जिले गंभीर सूखे की ओर बढ़ रहे हैं। गोपाल भाई इस साल मॉनसून को अप्रत्याशित और सामान्य से अलग मान रहे हैं।

मौसम विभाग के 1 जून से 15 जुलाई तक के मॉनसून के आंकड़े बताते हैं कि चित्रकूट में सामान्य से 91 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। जिले में 395.4 एमएम बारिश दर्ज की गई जबकि 206.7 एमएम के औसत से काफी अधिक है। लेकिन जब डाउन टू अर्थ ने चित्रकूट से जानकारी ली तो पता चला कि यह बारिश बुवाई से मौसम में नहीं हुई और न ही किसानों को इससे विशेष लाभ मिला है।

अधिकांश जिलों में कम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बांदा जिले में औसत से 48 फीसदी कम बारिश, झांसी में 58 प्रतिशत कम बारिश, ललितपुर में 80 फीसदी कम बारिश, महोबा में 69 प्रतिशत कम बारिश हुई है। हालांकि जालौन में 17 फीसदी ही कम बारिश दर्ज की गई है लेकिन यहां भी स्थिति चित्रकूट जैसी है। बारिश उस समय हुई जब किसानों को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। जालौन जिले के मीगनी गांव के प्रधान राजेश कुमार बताते हैं, +जुलाई का महीना अब तक सूखा रहा है। किसान बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिन खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां फसल की उम्मीद धूमिल हो गई है।+ राजेश कुमार को लगता है कि यह साल खेती के लिहाज से काफी मुश्किल रहने वाला है।

मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में भी सूखे की स्थितियां बन रही हैं। छतरपुर जिले में सामान्य से 51 फीसदी कम बारिश, पन्ना में 69 प्रतिशत कम बारिश, टीकमगढ़ में 58 प्रतिशत कम बारिश, सागर में 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। झांसी निवासी परमार्थ समाजसेवी संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव बताते हैं कि पूरा बुंदेलखंड इस साल भीषण सूखे की चपेट में है। सूखे की एक बड़ी वजह बताते हुए संजय सिंह कहते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। इन हिस्सों का पानी बहकर बुंदेलखंड की नदियों और नहरों में आता है लेकिन इस साल ये सब सूखी पड़ी हैं।

साभार - डाउन टू अर्थ

पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था खत्म कर सकती है केंद्र की नई एसओपी

नई दिल्ली। हरित नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोकने के लिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए नियम-निर्देश पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में एक और प्रयास दिखता हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मंत्रालय से कहा है कि वह ऐसी मानक आपॅरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करे, जिसमें 'नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना' और 'अनुरूपता के सिद्धांत 'का पालन हो। हरित पीठ बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण के नियमों का लगातार उल्लंघन किए जाने से चिंतित है।

मंत्रालय के कार्यालय द्वारा 7 जुलाई 2021 को जारी मेमोरेंडम में, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। इसमें नीचे दिए गए प्रावधान शामिल हैं -

- नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान और उनकी रिपोर्ट करना।
- किसी परियोजना को बंद करने या उसे तोड़ने के मामलों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना और
- परियोजना के आकार के मुताबिक, उनसे जुर्माना वसूल करना

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इससे पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था को कमजोर करने का कई बार प्रयास किया है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2020 मसौदे की अधिसूचना इस मामले में ताबूत में आखिरी कील थी, जिसकी सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों और पर्यावरणविदों ने कड़ी आलोचना की थी। लोगों के कड़े विरोध के चलते फिलहाल इस मसौदे की समीक्षा की जा रही है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2020 के प्रस्तावित मसौदे को नए मेमोरेंडम द्वारा लागू कराना बेकार है। नया मेमोरेंडम प्रस्तावित मसौदे का ही एक नया प्रयोग जान पड़ता है, जिसे जनता की सलाह के बगैर पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है।

मंत्रालय का नया मेमोरेंडम राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को पिछले कई सालों से मिल रही उन शिकायतों का नतीजा है, जिनमें तमाम परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय की विधिवत अनुमति के बगैर पूरा किया जा रहा था। इन मामलों में राज्यों का पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण भी नियमों का पालन नहीं करा पा रहा था, चाहे वह किसी ढांचे को ढहाने का मामला हो या फिर मुआवजे के आकलन और भुगतान का ।

अब नियमों को उल्लंघन को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहला - पर्यावरण मंत्रालय की विधिवत अनुमति के बिना घटनास्थल पर निर्माण, और खुदाई आदि, दूसरा - परियोजना की क्षमता अथवा उसके क्षेत्र को उस सीमा से आगे बढ़ाना, जिसका उल्लेख पर्यावरण मंत्रालय को दिए गए स्वीकृति पत्र में किया गया हो और तीसरा - पर्यावरण मंत्रालय या राज्यों के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की अनुमति के बिना परियोजना का विस्तार जैसे कि उसमें बदलाव करना आदि। अनुपालन न करने का मतलब उन नियमों और स्थितियों से है, जो परियोजना को लेकर पर्यावरण मंत्रालय या राज्यों के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने तय किए हैं।

मंत्रालय के मेमोरेंडम के उपखंड 13 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं की पहचान, उनकी पड़ताल और उनसे होने वाले नुकसान की कीमत तय करना जिससे वह पर्यावरण को आगे नुकसान न पहुंचाए, और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जा सके।

इस व्यवस्था के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं की पहचान करें और आगे की कार्रवाई के लिए ए श्रेणी परियोजनाओं के मामले में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और बी श्रेणी की परियोजनाओं के मामलों में राज्यों के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को सूचित करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी परियोजनाओं को अनुमति पत्र न जारी करें या उनके अनुमति पत्र का नवीनीकरण न करें, जिन्हें पहले से पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति न मिली हो।

उल्लंघन की सूचना प्रस्तावक के स्वतः संज्ञान द्वारा भी दी जा सकती है। मेमोरेंडम के एक सहायक निर्देश में कहा गया है - ' अगर जनता किसी परियोजना को लेकर नियमों के उल्लंघन की शिकायत करती है तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अविलंब उस पर कार्रवाई करेंगे।' पर्यावरण प्रभाव आकलन, 2020 के प्रस्तावित मसौदे में यह निर्देश शामिल नहीं था, जिसका देश के पर्यावरणविदों ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि लोगों को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिले। नए मेमोरेंडम में इसे शामिल किया है हालांकि इसमें यह परिभाषित नहीं किया गया है कि अधिकारियों से शिकायत करने के लिए लोगों को क्या दस्तावेज पेश करने होंगे। इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि लोगों की शिकायतें दर्ज कैसे होंगी।

इसके अलावा इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि लोगों की शिकायतों को सुना बिना ही उन्हें खारिज न कर दिया जाए। मेमोरेंडम की इस अस्पष्टता से एक बार फिर इस सारी कवायद में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए रास्ता निकल सकता है।

उल्लंघन के मामलों का प्रबंधन

मंत्रालय के मेमोरेंडम के उपखंड 11 में नियमों का उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ तीन तरह की कार्रवाईयां तय की गई हैं। यह इस पर निर्भर करेगा कि उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति ली है अथवा नहीं। अगर किसी परियोजना के लिए अनुमति नहीं ली गई है तो इसे बंद करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी परियोजना के लिए अनुमति ली गई है लेकिन बिना जानकारी दिए इसका विस्तार किया जा रहा है तो पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति के बगैर जितना भी विस्तार किया गया है, उसे ढहाना पड़ेगा। कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं, जिन्हें अपने पहले चरण के लिए मंत्रालय की अनुमति की जरूरत न हो लेकिन विस्तार के बाद उन्हें इसकी जरूरत पड़े। ऐसे मामलों में उन्हें अपना काम रोकना होगा और अनुमति के बाद ही वे अपना विस्तार कर सकेंगी। सभी परियोजनाओं के लिए कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 के अंतर्गत की जाएगी।

यह उपखंड केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पर्यावरण की सुरक्षा के उपायों को खासतौर से प्रदर्शित करता है। परियोजनाओं के लिए ये सभी तरह की कार्रवाईयां अस्थायी तौर पर होंगी, जब तक कि वे पर्यावरण मत्रांलय से जरूरी अनुमित पत्र हासिल नहीं कर लेतीं। इसका मतलब यह है कि ए श्रेणी की परियोजनाओं के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और बी श्रेणी की परियोजनाओं के लिए राज्यों के पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी।उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करते समय आकलन समिति, पर्यावरण की संवहन क्षमता के आधार पर फैसला लेगी और तय करेगी कि वह आगे जारी रह सकती है या नहीं। अगर यह पाया जाता है कि अनुमति के बावजूद कोई परियोजना अपनी शुरूआत से नियमों के अनुकूल नहीं थी, तो उसे स्थायी तौर पर बंद करना पड़ेगा या ढहाना पड़ेगा। हालांकि अगर यह पाया जाता है कि कोई परियोजना पर्यावरण के मानकों के अलावा अन्य पैमानों पर ठीक है तो उसे पर्यावरण के मानकों के अनुरूप करने के लिए उसमें सुधार की गुंजाइश रहेगी।ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण की संवहन क्षमता के अनुकूल होंगी और अन्य मानकों को भी पूरा करेंगी, उन्हें पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन को सूचना देने के लिए कहा जाएगा। इन परियोजनाओं को सामाजिक संदर्भों का ध्यान रखते हुए उनसे होने वाले नुकसान का आकलन करना होगा और उनकी वजह से विस्थापित होने वाले समुदाय की तरक्की के उपाय करने होंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008